



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./67/2025/ 14 /Accom. Sec.

दिनांक-16/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Tara Kumari, Nursing officer, IGIMS को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19.01.2026 के आलोक में आवास सं० Old B Type- 5/8 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना

दिनांक-16/02/2026

ज्ञापांक:- Q.A./67/2025/ 14 /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Tara Kumari, Nursing officer/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गॉ०आयु०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./67/2025/ 13 /Accom. Sec.

दिनांक-16/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोंपरांत Jasmine Madhew, Nursing officer को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 19.01.2026 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व आवंटित आवास संख्या Old B Type- 5/1 को रद्द करते हुए आवास सं० Old B Type- 1/1 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में आवंटित आवास सं० B Type- 5/1 को अधीक्षण अभियंता पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में 1 वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

ह0/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./67/2025/ 13 /Accom. Sec.

दिनांक-16/02/2026

प्रतिलिपि:- Jasmine Madhew, Nursing officer/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


16/02/26
डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गाँ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./68/2026/15/Accom. Sec.

दिनांक- 16/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्न चिकित्सकों को उनके अनुरोध पत्र के आलोक में उनके नाम के समक्ष अंकित आवास तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

Sl. no.	Name	Designation	Department	Quarter type
1.	Dr. Milan Dhariwal	M.Ch- 1	Reproductive Medicine	Old MDH- 4/4
2.	Dr. Sanjeev Kumar	M.Ch- 1	Cardiology	Old MDH- 3/5

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/—

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14

ज्ञापांक:- Q.A./68/2026/15/Accom. Sec.

दिनांक- 16/02/2026

प्रतिलिपि:- उक्त चिकित्सकों/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. K. Suman
16/02/26

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गौ०आ०सं०, पटना-14



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना- 14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशास्य संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक: Q.A./68/2026/ 16 /Accom. Sec.

दिनांक- 16/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त Dr. Babuya Nand Sharma, SR DNB, Onco Surgery को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 31.01.2026 के आलोक में नियमानुसार प्रथम बदलाव के तहत, इन्हें पूर्व में आवंटित आवास संख्या Old MDH- 1/2 को रद्द करते हुए, आवास सं० Old MDH- 2/9 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास सं० Old MDH- 2/9 का अधिग्रहण के पश्चात् पूर्व में, आवंटित आवास सं० Old MDH- 1/2 को अधीक्षण अभियंता (सिविल) को समर्पित करेंगे।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

नोट

1. **Residency Programme/ Tenure** पूरा होने अथवा त्यागपत्र देने पर आवास/छात्रावास खाली करने/अन्य प्रक्रिया पूरी करने हेतु एक माह (30 दिन) तक का समय दिया जाएगा। इस अवधि के लिए एक माह का License Fee देय होगा।
2. एक माह के बाद से पूर्व की भौति (Basic + NPA) का 25% प्रतिमाह की दर से पेनाल्टी देय होगा।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गों०आयु०सं०, पटना

ज्ञापांक:- Q.A./68/2026/ 16 /Accom. Sec.

दिनांक- 16/02/2026

प्रतिलिपि:- Dr. Babuya Nand Sharma, SR DNB, Onco Surgery/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गों०आयु०सं०, पटना